निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 34/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामेश्वर पुत्र ग्यारसा जाति जाट निवासी ग्राम दतावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी आमेर जरिये पीठासीन अधिकारी।
2. भोलाराम पुत्र गंगाराम
3. कानाराम पुत्र गंगाराम
4. ज्याना पत्नी ग्यारसीलाल
5. प्रेम देवी पत्नी मोहन लाल
6. भूरामल पुत्र झूथाराम
7. मलीराम पुत्र महादेव
8. मिश्री देवी पत्नी भोलाराम
9. रामेश्वर पुत्र गणेश
10. लल्लूराम पुत्र महादेव
11. लालचन्द पुत्र गणेश
12. लालाराम पुत्र महादेव
13. सुगलराम पुत्र महादेव
14. सुजी देवी पत्नी नाथूराम
15. सुत्रान चन्द पुत्र धन्ना राम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दतावता तहसील आमेर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष लम्बित प्रकरण संख्या 27/2020 ब उनवानी भोलाराम बनाम सरकार व अन्य को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री अजय कुमार सैनी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 20.09.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 27/2020 ब उनवानी भोलाराम बनाम सरकार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार सैनी उपस्थित है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.10.2020 को पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जा कर दिनांक 19.11.2020 वास्ते तलबी नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली लगतार नियत तारीख पेशियों मे विचाराधीन रही। दिनांक 07.01.2022 अप्रार्थी संख्या 1 लगगयत 6, 11, 13, 20, 22 लगायत 26 व 29 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9, 12, 21, 27 व 30 को आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से जबाब पेश का अवसर दिया गया। कोविड–19 की तीसरी लहर के चलते राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार व बार एसोसियेशन के अनुसार कोविड गाईड लाईन की पालना के अनुसार किसी प्रकरण में किसी भी पक्षकार के उपस्थित होने या नहीं होने की स्थिति मे किसी भी प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई जावेगी और ना ही प्रकरण में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जायेगा। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6, 1, 13, 20 22 लगायत 26 व 29 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। कोविड गाईड लाईन की पालना में सभी प्रकरणों में जनरल तारीख पेशी नियत की जायेगी इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली में दिनांक 07.01.2022 तथा दिनांक 03.02.2020 एवं दिनांक 09.02.2022 नियत की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 राजनैतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति है जो धन बल व बाहुबल में प्रार्थी से अधिक है जो एन केन प्रकारेण प्रार्थी को उसके कदीमी कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण द्वारा गांव में भी यह कहा जा रहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के प्रभाव में है जिसके चलते वह प्रार्थी की कदीमी कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से अपने मन माफिक आदेश पारित करवा कर प्रार्थी की कब्जे काश्तशुदा आराजी पर कब्जा कर लेंगें। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को दिनांक 05.02.2022 को कहा गया कि दिनांक 09.02.2022 को उक्त प्रकरण में बिना जबाब पेश किये हम हमारे मन माफिक फैसला करवा लेंगे क्योंकि हमारी अप्रार्थी संख्या 1 से बातचीत हो चुकी और प्रार्थी को धमकी देने लगे कि पीठासीन अधिकारी से हमारी बातचीत हो चुकी है और शीघ्र ही हमारे पक्ष में निर्णय हो जायेगा। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी कोई रूची ले कर कार्यवाही नहीं कर रहे और उक्त प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए छोटी छोटी तारीख पेशियां दे रहे है। पीठासीन अधिकारी उक्त व्यक्तियों के प्रभाव में है तथा प्रकरण को बिना सम्यक कार्यवाही किये जल्दबाजी में निस्तारण करने पर आमादा है। प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है । इसलिए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि तामील होने के बावजूद अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 07.01.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की

जिला कलक्टर
जयपुर

गई थी। तत्पश्चात दिनांक 6.02.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही मनसुख का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 10.03.2022 को स्वीकार किया गया व जवाब हेतु 23.03.2022 नियत की गई। दिनांक 06.04.2022 को तथ्यात्मक रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब दिया गया तथा पत्रावली आपत्ति प्रार्थना पत्र की बहस हेतु दिनांक 08.04.2022 को नियत की गई। प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं कर श्रीमान के समक्ष दिनांक 07.02.2022 को ही स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिससे प्रार्थी की बदनियती स्पष्ट होती है। दिनांक 07.01.2022 को कोविड की तीसरी लहर नही रही और जरनल तारीखें नहीं दी गई है। सभी प्रकरणों में अलग अलग तारीखे दी गई है तथा प्रकरणों मे प्रभावी पैरवी होने लग गयी थी। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 किसान है जिसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति है, खेती कर भरण पोषण करते है, अपनी भूमि की सुरक्षा करने के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से तथा प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का ऐन केन प्रकारेण निर्णय नहीं हो तथा पत्रावली लम्बित चलती रहे। इस उद्देश्य से प्रार्थी अकेले ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी के साथ अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 29 और भी पक्षकार है उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रही और उनकी ओर से कोई स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । इसलिये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 07.01.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। जिस पर आदेश 9 नियम 7 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 10.03.2022 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार की अनियमितता व त्रुटि नहीं पाते है। उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर कमांक डीएम/कोर्ट/2022/331 दिनांक 08.02.2022 प्रार्थी को दस्ती जारी कर बिन्दूवार टिप्पणी चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त दस्ती पत्र 3 माह पश्चात इस न्यायालय में दिनांक 11.05.2022 को पेश किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक विलम्ब किये जाने की प्रार्थी की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नही होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली कलक्ट्रेट नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपोरिया)
जिला कलक्टर
जयपुर